# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

–: प्रेस–नोट :–

दिनांकः 23.09.2026

आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा, 2026 {कार्मिक (क–4/2) विभाग} एवं प्राध्यापक–विशेष शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा, 2026 (माध्यमिक शिक्षा विभाग) का आयोजन क्रमशः दिनांक 06.12.2026 तथा 08.12.2026 को किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त परीक्षाओं हेतु जारी विज्ञापनों में उल्लेखित शर्तानुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन हेतु **दिनांक 24.09.2026 से 30.09.2026 तक** ऑनलाईन संशोधन लिंक खोला जा रहा है। ओटीआर प्रोफाईल संबंधी प्रविष्टियों में संशोधन करने हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम ओटीआर प्रोफाईल में संशोधन करना होगा, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थी आयोग के पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply Online Link अथवा SSO Portal से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर शुल्क रूपये 500/– का ऑनलाईन भुगतान करते हुए संबंधित परीक्षा के आवेदन–पत्र में संशोधन कर सकते हैं।

उक्त परीक्षाओं हेतु केवल ऑनलाईन संशोधन के विकल्प का ही प्रयोग करें। उपरोक्त ऑनलाईन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों के हितार्थ सुविधामात्र है। संशोधन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही मान्य होंगे। उपरोक्त संशोधन के संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर **recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in** पर ई–मेल से अथवा फोन नं. 9352323625 व 7340557555 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र के क्रम में एक वित्तीय वर्ष में आयोजित की गयी किन्ही 02 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की ओ.टी.आर. (ONE TIME REGISTRATION) सुविधा प्रतिबंधित (BLOCK) की जायेगी। ऐसी स्थिति में OTR सुविधा को पुनः चालू (UNBLOCK) कराने हेतु शुल्क 750/– रूपये देय होगा। तत्पश्चात् उसी वित्तीय वर्ष में आयोजित होने वाली 02 और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने उक्त सुविधा पुनः प्रतिबंधित (BLOCK) की जायेगी, जिसे शुल्क 1500/– रूपय के भुगतान करने के उपरांत ही उक्त सुविधा पुनः चालू (UNBLOCK) की जायेगी। अतः ऐसे अभ्यर्थी जो किन्ही कारणों से परीक्षा देने के इच्छुक नहीं हैं, वे **दिनांक 24.09.2026 से 30.09.2026 तक** SSO Portal पर Login कर Recruitment Portal का चयन कर My Recruitment Section के अन्तर्गत सम्बन्धित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध Withdraw button पर क्लिक कर अपना ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) कर सकते हैं।

साथ ही असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 217 के तहत् दण्डनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालान्तर में काउन्सलिंग/पात्रता जांच के दौरान अपात्र पाये जाने पर आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (DEBAR) भी किया जाएगा। **अतः ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता/अर्हता धारित नहीं करते हैं, वे दिनांक 24.09.2026 से 30.09.2026 तक अपना ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) कर लेवें।**

(ऋषिबाला श्रीमाली)
संयुक्त सचिव